केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/230

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00223
CICOM/R/2017/00528

दिनांक: 26.07.2017

अपीलकर्ता : श्री नरेश कुमार,
मकान सं. 1086, गितांजली विहार,
गणेश पुर, रुड़की, हरिद्वार,
उत्तराखंड – 247667.

निर्णय की तारीख : 26.07.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.04.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	15.05.2017, 20.07.2017, 18.07.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. के. मोहापात्रा, श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री एस. एस. रोहिल्ला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	14.07.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	148465/14.07.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 15.04.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से डायरी सं. 121076/01.09.2015, 175647/20.11.2015, 180047/19.10.2016 एवं 108811/10.02.2017 सहित द्वितीय अपील/शिकायत सं. CIC/WB/A/2010/000794, CIC/VS/C/2011/000759, CIC/VS/A/2014/000469, CIC/VS/A/2015/001362 तथा CIC/CC/A/2014/003039 से संबंधित सूचनाएं मांगी थी । अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्हें वांछित सूचना नहीं प्रदान की गई है ।

2. अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना स्पष्ट नहीं होने के कारण अपीलकर्ता से दिनांक 24.07.2017 को उनके मोबाइल सं. 9458129956 पर संपर्क कर यह जानने का प्रयास किया गया कि उन्हें आयोग से क्या सूचना चाहिए, क्या उन्हें आवेदन में वर्णित आयोग के आदेशों की प्रति चाहिए या कुछ और चाहिए । अपीलकर्ता मोबाइल पर भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सके कि उन्हें क्या चाहिए, परन्तु उन्होंने इतता अवश्य कहा कि आयोग के आदेश के बावजूद भी संबंधित विभाग सूचना नहीं दे रहे हैं । इस संबंध में अपीलकर्ता को सूचित किया जाता है कि यदि आयोग के किसी आदेश का अनुपालन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है तो आयोग के संबंधित ओदश सं. का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग को पत्र लिख सकते हैं ।

3. आर.टी.आई. ओवदन में उल्लिखित डायरी सं. 121076/01.09.2015 एवं 180047/19.10.2016 के संबंध में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ संलग्न है । डायरी सं. 108811/10.02.2017 से संबंधित सूचना श्री टी. के. मोहापात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता जब आयोग में आए थे उसी समय उन्हें दे दिया गया है । डायरी सं. 175647/20.11.2015 के प्रतिउत्तर में श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने सूचित किया है कि उक्त डायरी सं. उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय को अग्रसारित किया गया है, जबकि श्री एस.एस. रोहिल्ला, उप-पंजीयक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त–एस.बी. कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त डायरी सं. उनकी रजिस्ट्री में प्राप्त नहीं हुई है । अतः श्रीमती पुष्पा जनार्दनन एवं श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर डायरी सं. 175647/20.11.2015 से संबंधित स्पष्ट सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई जाए ।

O/C

C.I.C.
27 JUL 2017
D. No. Swati
Initials

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

Sanjay Kumar 27.07.17

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस. एस. रोहिल्ला, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली ।
3. श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, डाक अनुभाग, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

Rohit 27/7/17

With enclosure